न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारी:– वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 16/2009 | तारीख रजू 13.03.2009 | तारीख निर्णय 20.05.2026

1. मोहनलाल पुत्र रामसुखा बैरवा निवासी खिदरपुर जाटान तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. राधेश्याम पुत्र रामसुखा बैरवा निवासी खिदरपुर जाटान तहसील खण्डार जिला स0मा0।
3. बनवारी पुत्र रामसुखा बैरवा निवासी खिदरपुर जाटान तहसील खण्डार जिला स0मा0।

वादीगण

बनाम

1. राजन्ती पुत्री रामसुखा पत्नि सन्नू बैरवा निवासी नायपुर तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. छोट्या पुत्र रामचन्द्र बैरवा निवासी खिदरपुर जाटान तहसील खण्डार जिला स0मा0।
3. नागा पुत्र रामचन्द्र बैरवा निवासी खिदरपुर जाटान तहसील खण्डार जिला स0मा0।
4. सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार खण्डार।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक हुक्म इक्तनाई दवामी दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति :–

श्री नागाराम मीना अधिवक्ता वादीगण की ओर से

निर्णय

1. वादी द्वारा यह वादपत्र इस आशय का पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

- वादी ग्राम खिदरपुर के काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 खिदरपुर की रहने वाली है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ग्राम खिदरपुर के निवासीयान है प्रतिवादी संख्या 1 अभी वर्तमान में शादी होने से अपने ससुराल नायपुर में रह रही है।
- आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 02–07 बीघा, खसरा नम्बर 356 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 7/368 रकबा 01–07 बीघा वाके ग्राम खिदरपुर जाटान मे स्थित है। जो वादीगण की खाातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध्सा व वास्ता नहीं है।
- आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 02–07 बीघाा की वादीगण के पिता रामसुखा पुत्र गंगल्या बैरवा सम्बत् 2005 से पूर्व से काश्त करता चला आ रहा है जो वादी के पिता रामसुखा पुत्र गंगल्या बैरवा की खातेदारी की जमीन है जिसकी पास बुक भी दिनांक 21.01.1970 ई. को वादीगण के पिता रामसुखा पुत्र गंगल्या बैरवा के नाम जारी हुआ है। लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेवेन्यू अधिकारियों से मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामसुखा पुत्र गंगल्या ने अपना नाम खातेदारी में अंकन करवा लिया। खातेदारी में रामसुखा पुत्र गंगल्या के स्थान पर पिता मंगल्या दर्ज गलत करवा लिया तथा अपने खातेदारी में मुगालता देकर दर्ज करवा लिया इसी प्रकार खसरा नम्बर 356 मि. रकबा 03 बीघा का आवंटन वादीगण के पिता के नाम 08.07.1983 को हुआ तथा खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स0 मा0)

7/368 का आवंटन दिनांक 05.10.1960 को हुआ। लेकिन इस आराजीयात का जब नामान्तकरण खोला गया तो रामसुखा गंगल्या के स्थान पर रेवेन्यू अधिकारियों ने रामसुखा पुत्र मंगल्या के नाम मिलवाकर दिया तथा खातेदारी में अंकन हो गया जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं होने दी तथा कब्जा लगातार वादीगण का चलता रहा।

- इसके बाद प्रतिवादीं संख्या 1 के पिता मर गये तथा उक्त आराजीयात उसकी एक मात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लग गयी। तथा प्रतिवादीया न.1 का उक्त जमीन का कब्जा नहीं होते हुए भी खातेदारी में गलत नाम दर्ज हो जाने के कारण उक्त आरजीया को प्रतिवादी न.1 व2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेच दिया है इस प्रकार प्रतिवादीया न.1 का उक्त जमीनो से कोई लेना देना नहीं है तो उक्त जमीनो को प्रतिवादीगण न.1 व2 को बेचने का अधिकार नहीं है तथा उक्त बेचान नामा दिनांक17.5.95 ऐबइनिशियों वायड़ है तथा उक्त बेचान नामा के आधार पर प्रतिवादी क्र. 2व3 को कोई हक हासिल नहीं होता है

- वादीगण के.सी.सी. की फाईल बनवाने पटवारी हल्का के पास दीपावली के आस पास दिनांक 27.10.2008 को गये तो उनको उक्त इन्द्राजात के बारे के जानकारी हुई। तब वादीगण उक्त इन्द्राज व वादीगण की जमीनो का विक्रय पत्र प्रतिवादी न.1 के द्वारा प्रतिवादी न.2 व3 को करवा देने के सम्बन्ध में प्रतिवादीया न.1 से पुछताछ की तो प्रतिवादीया न.1 ने अपने नाम जमीन लगने की जानकारी नही होना व प्रतिवादी न.2व3 को बेचने से इन्कार किया। इस प्रकार प्रतिवादी न.2 व3 ने उक्त जमीन कोई फर्जी औरत यही करके सब रजिस्टार महोदय के यहां करवाली है।

- वादीगण का कब्जा उक्त आराजीयात पर अपने पिता के समय से लगातार आज तक चला आ रहा है तथा वादीगण को आवंटन होने के कारण वादीगण ही उक्त आराजीयता के खातेदार काश्तकार है जिसका प्रतिवादीगण से कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है तथा प्रतिवादीगण को दिनांक 29.10.2008 को उक्त फर्जी विक्रय पत्र करवाने के बारे में पूछा व दुरस्त कराकर वादीगण के नाम कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये तथा जबरन कब्जा करने की धमकी दी।

- प्रतिवादीगण को हक हासिल है कि प्रतिवादी गण के खिलाफ श्रीमान के यहां दावा प्रस्तुत कर उक्त गलत इन्द्राज को दुरस्त करने व विक्रय पत्र दिनांक 27.5.95 को नल एण्ड वायल्ड घोषित करवाने का अधिकार है तथा प्रतिवादी गण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकार है कि प्रतिवादी गण के कब्जे काश्त में माने मजाहमत नहीं करे तथा बेचान व अन्य तरह से हस्तानान्तरण नहीं करें। यही कारण है कि दावा करना लाजिम आया।

- बिनाय दावा दिनांक 27.10.2008 को व 29.10.2008 को बयोम मना करने दुरस्ती रेवन्यू रिकार्ड हर हदूद वाला उत्पन्न हुआ है।

- दावा श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान को श्रवण करने का अधिकार है।

- दावा उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

- दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावे।

- आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 356 मि. रकबा 3 बीघा खसरा नम्बर 7/368 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम खिदरपुर का वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी क्र. 1 के नाम दर्ज होने से दुरस्ती करवाने का अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

है तथा विक्रय पत्र दिनांक 27.5.95 नल एण्ड वायल्ड घोषित कराकर उक्त विवादित आराजीयात का इन्द्राज अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

- प्रतिवादी गण को विक्रय रहन बय करने से पाबन्द स्थाई निषेज्ञा से कब्जे काश्त में मजाहमत करने से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।
- वादीगण को प्रतिवादीगण से खर्चा मुकदमा दिलवाया जावें।

2. वादी के दावा को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा वकालतनामा पेश करते हुए जबाव पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में गई।

3. प्रतिवादी संख्या 1 जबाव पेश किया गया है। जिसमें निवेदन किया गया है कि

- आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 2—07 बीघा, खसरा नम्बर 356 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 7/368 रकबा 01—02 बीघा वाके ग्राम खिदरपुर जाटान में स्थित है। जो प्रतिवादी सं. 1 के पिता रामसुखा पुत्र मंगल्या बैरवा की खातेदारी कब्जे कास्त की आराजीयात थी प्रतिवादीगण स. 1 के पिता रामसुखा की मृत्यु के पश्चात् से उक्त विवादित आराजीयात प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी कब्जे कास्त में दर्ज चली आ रही थी जिसमें से मुझ प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी खातेदारी कब्जे कास्त की उक्त भूमि ख.नं. 3 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा ख. नं. 7/368 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा बांके ग्राम खिदरपुर जाटान को आज से करीब 16—17 वर्ष पूर्व सन् 1995 में मुझ प्रतिवादी सं. 1 ने उपंजयक कार्यालय में खण्डार में उपस्थित होकर जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रतिवादी सं. 2 व 3 छोट्या व नागा पुत्रान रामचन्द्र बैरवा निवासी खिदरपुर जाटान को बेचान कर रजिस्ट्री करवा दी। प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी कब्जे कास्त की आराजी भूमि खसरा नं. 356 मिन. रकवा 3 वीघा तथा मुझ प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 व 3 को जरिये रजिर्स्टड विक्रयपत्र बेचान की गई भूमि खसरा नं. 3 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा और खसरा नं. 7/368 रकवा 1 वीघा 2 विस्वा बॉके ग्राम खिदरपुर जाटान से वादीगण का कोई सम्बन्ध वास्ता नही हैं।
- यह कि जमाबंदी चौसाला संवत् 2057 से 2060 एवं जमाबंदी चौसाला संवत 2061 से 2064 में दर्ज भूमि ख.नं. 3 रकवा 2 बीघा 7 विस्वा, ख.नं. 7/368 रकवा 1 वीघा 2, ख. नं. 71/1 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा कुल रकवा 4 बीघा 12 विस्वा स्थित ग्राम खिदरपुर जाटान प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 की खातेदारी कब्जे कास्त की आराजीयात है जिस पर प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 सन् 1995 से आजतक लगातार काबिज रहकर कास्त करते चले आ रहे है मुझ प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जरिये रजिर्स्टड विकय पत्र बेदान की गई प्रतिवादीगण 2 व 3 की खातेदारी कब्जे कास्त की उपरोक्त भूमि से वादीगण का कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है ।
- यह कि वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में खसरा नं. 3 रकवा 2 बीघा 7 विस्वा ग्राम खिदरपुर जाटान की कास्त रामसुख पुत्र मंगल्या बैरवा के नाम दर्ज है न कि रामसुखा पुत्र गंगल्या बैरवा के नाम तथा जबकि वादीगण ने वादपत्र के मद नं. 2 में ख.नं. 7/368 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा दर्शाया है जबकि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2057—60 एवं 2061 से संवत् 2064 में खं.नं. 7/368 का रकवा 1 बीघा 2 विस्वा दर्ज है इसलिये वादपत्र में वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2057—60 एवं 2061—64 में अंकित आराजी ख.नं. 7/368 का रकवा

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

तथा वादपत्र के मद नं. 2 में अकित रकवा भिन्न–भिन्न होने से प्रतिवादी सं. 2 व 3 की खातेदारी कब्जे कास्त की भूमि ख.नं. 7/368 का रकवा 1 बीघा 2 विस्वा से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है ।

- यह कि वादीगण खं.नं. 356 मिन 3 बीघा का आंवटन होना वादीगण 8.7.1983 को होना अपने वादपत्र में बताते है जबकि वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तकरण सं. 485, ख.नं. 356 मिन 3 बीघा का नामान्तकरण सं. 485 दिनांक 15.02.1983 को खोला गया जो प्रतिवादी सं. 1 के पिता रामसुखा पुत्र मंगल्या बैरवा के नाम खोला गया यहाँ पर निवेदन करना यह है कि जब वादीगण के पिता के नाम आवंटन होना 08.07.1983 को वादीगण बताते है तो नामान्तकरण सं. 485 दिनांक 15.02.1983 का दस्तावेज वादीगण का कोई मदद नहीं पहुँचाता है इस प्रकार नामान्तकरण सं. 485 दिनांक 15.02.1983 में अंकित आराजी ख. नं. 356 मिन 3 बीघा से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 के स्वर्गीय पिता रामसुखा पुत्र मंगल्या बैरवा की खं. नं. 356 मिन 3 बीघा भूमि को हड़पने के लिये झूठा निराधार वादपत्र माननीय न्यायालय को गुमराह कर पेश किया ।
- यह कि संवत 2013 की खसरा गिरधावरी तथा सम्वत् 2019 से 20 में खसरा नं. 3 रकवा 2 बीघा 7 विस्वा रामसुखा पुत्र मंगल्या बैरवा खुद कास्त दर्ज है इसी प्रकार संवत् 2029 से 32 तथा 33 से 36 में रामसुखा मंगल्या के नाम कास्त दर्ज है तो फिर वादीगण के पिता एवं वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं उठता इसलिये वादीगण का दावा एकदम झूठा निराधार है जिसकी कोई सत्यता नहीं है कब्जे के अभाव में दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है ।
- यह कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालयों से केन्सिल करवाये बिना दावा वादीगण श्रीमान् न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।
- यह है कि विवादित आराजीयात प्रतिवादी सं. एक के पिता रामसुखा की मृत्यु के पश्चात् एकमात्र प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी कब्जे कास्त की आराजीयात होने से मुझ प्रतिवादी सं. 1 को बेचने का एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 को खरीदने का पूरा–पूरा अधिकार होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 व 3 को सन् 1995 में खसरा नं. 3 रकवा 2 बीघा 7 विस्वा, खसरा नं. 7/368 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा को जरिये रजिस्र्टडविक्रय पत्र बेचान किया।जिससे वादीगण का कोई समबन्ध या वास्ता नही है ।
- यह है कि वादीगण को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ, वादीगण ने वद्दयान्तिपूर्वक अपने वादपत्र में असलीयत को छुपाते हुये प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जे कास्त की वादग्रस्त आराजियात को हड़पने के लिये मनगढंत निराधार दावा पेश किया है। जिसकी कोई सत्यता नही है। दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है, अतः खारिज फरमाया जावें ।
- अतः जबाब वादपत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

4. प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा जबाव पेश किया गया है। जिसमें निवेदन किया गया है कि

- यह कि जमाबंदी चौसाला संवत् 2057 से 2060 एवं जमाबंदी चौसाला संवत 2061 से 2064 में दर्ज भूमि ख.नं. 3 रकवा 2 बीघा 7 विस्वा, ख.नं. 7/368 रकवा 1वीघा 2, स्थित ग्राम खिदरपुर जाटान प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 की खातेदारी कब्जे कास्त की

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते खण्डार (स. मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

आराजीयात है जिस पर प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 सन् 1995 से आजतक लगातार काबिज रहकर कास्त करते चले आ रहे है प्रतिवादीगण 2 व 3 की खातेदारी कब्जे कास्त की उपरोक्त भूमि से वादीगण का कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है ।

- यह कि वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में खसरा नं. 3 रकवा 2 बीघा 7 विस्वा ग्राम खिदरपुर जाटान की कास्त रामसुख पुत्र मंगल्या बैरवा के नाम दर्ज है न कि रामसुखा पुत्र गंगल्या बैरवा के नाम तथा इसी प्रकार वादीगण द्वारा वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेज अलोटमेन्ट कागजात में ख.नं. 368/7 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा दर्ज है जबकि वादीगण ने वादपत्र के मद नं. 2 में ख.नं. 7/368 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा दर्शाया है जबकि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2057–60 एवं 2061 से संवत् 2064 में खं.नं. 7/368 का रकवा 1 बीघा 2 विस्वा दर्ज है इसलिये वादपत्र में वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड अलोटमेन्ट कागजात एवं जमाबंदी संवत 2057–60 एवं 2061–64 में अंकित आराजी ख.नं. 7/368 का रकवा भिन्न–भिन्न होने से प्रतिवादी सं. 2 व 3 की खातेदारी कब्जे कास्त की भूमि ख. नं. 7/368 का रकवा 1 बीघा 2 विस्वा से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है। ।
- यह कि वादीगण खं.नं. 356 मिन 3 बीघा का आंवटन होना वादीगण 8.7.1983 को होना अपने वादपत्र में बताते है जबकि वादीगण द्वारा वादपत्र में दस्तावेज नामान्तकरण सं. 485 ख.नं. 356 मिन 3 बीघा का नामान्तकरण सं. 485 दिनांक 15.02.1983 को खोला गया जो रामसुखा पुत्र मंगल्या के नाम खोला गया यहॉ पर निवेदन करना यह है कि जब वादीगण के पिता के नाम आवंटन होना 08.07.1983 को वादीगण बताते है तो नामान्तकरण सं. 485 दिनांक 15.02.1983 का दस्तावेज वादीगण का कोई मदद नहीं पहुँचाता है इस प्रकार नामान्तकरण सं. 485 दिनांक 15.02.1983 में अंकित आराजी ख. नं. 356 मिन 3 बीघा से वादीगण का कोई लेना देना नहीं है वादीगण ने रामसुखा पुत्र मंगल्या बैरवा की खं. नं. 356 मिन 3 बीघा भूमि को हड़पने के लिये झूठा निराधार वादपत्र माननीय न्यायालय को गुमराह कर पेश किया है जिसकी कोई सत्यता नहीं है।
- यह कि संवत 2013 की खसरा गिरधावरी तथा सम्वत् 2019 से 20 में खसरा नं. 3 रकवा 2 बीघा 7 विस्वा रामसुखा पुत्र मंगल्या बैरवा की खुद कास्त दर्ज है इसी प्रकार संवत् 2029 से 32 तथा 33 से 36 में रामसुखा पुत्र मंगल्या दर्ज के कास्त दर्ज है तो फिर वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं उठता इसलिये वादीगण का दावा एकदम झूठा निराधार है जिसकी कोई सत्यता नहीं है कब्जे के अभाव में दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है ।
- यह कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालयों से केन्सिल करवाये बिना दावा वादीगण श्रीमान् न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।
- अतः जबाब वादपत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादीगण वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

5. वाद पत्र जबाव दावा उपरान्त तनकीयात हेतु नियत किया गया है। पर्चा तनकीयात विवेचित कर कायम की गई है।

(1) आया वादपत्र में अंकित आराजीयात वादीगण के पिता की खातेदारी/आंवटनशुदा भूमि है, लेकिन राजस्व विभाग की गलती से प्रतिवादी नंम्बर 1 के पिता के नाम अंकन हो गया जिसे दुरूस्त कराते हुए खातेदारी रामसुखा पुत्र गंगल्या के स्थान पर पिता का नाम मंगल्या दर्ज कराने के अधिकारी है? (वादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

(2) आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 27.05.1995 को कराये गये विक्रय पत्र नल एण्ड वाइल्ड है?

(वादीगण)

(3) आया वादीगण, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के अधिकारी है ?

(वादीगण)

(4) आया प्रस्तुत वादपत्र का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को ही है ? (प्रतिवादी)

(5) आया वादपत्र म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है ? (प्रतिवादी)

6. वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये गयें जिसमें PW1 के रूप में मोहनलाल पुत्र रामसुखा बैरवा के बयान लिए तथा जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। प्रस्तुत दस्तावेज नकल खातेदारी जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 प्रदर्श–1, नकल आंवटन आदेश दिनांक 18.02.1985 जो प्रदर्श–2, नकल नामान्तकरण दिनांक 15.02.1983 जो प्रदर्श–3, जमाबन्दी सम्बत 2016 से 19 जो प्रदर्श–4, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2005–2008 जो प्रदर्श–5, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017 से 2020 है जो प्रदर्श–6, नकल गिरदावरी सम्बत् 2009–2024 जो प्रदर्श–7, नकल नामान्तकरण दिनांक 29.11.1981 जो प्रदर्श–8, नकल आंवटन प्रार्थना पत्र व निर्णय दिनांक 08.02.1983 जो प्रदर्श–9 नकल जमाबन्दी 2041–2044 है जो प्रदर्श–10 एवं पासबुक भूमि खातेदारी है जो प्रदर्श–11 है। साक्ष्य वादी पूर्ण होने पर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगणों को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य सवूत पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगण को बहस हेतु उपस्थित नहीं होने दिनांक 26.06.2026 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए तर्क किया की विवादित आराजी उनकी खातेदारी/आवंटनशुदा आराजी है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम ग़लत रूप से दर्ज किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गये थे। एवं ग़लत इंद्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक़ में किया गया विक्रय पत्र प्रारंभ से ही नल एंड वॉइड है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर विवादित आराजी पर इंद्राज दुरुस्त कर खातेदार घोषित किया जाये।

8. पत्रावली का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, बयान, तथा विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया। तनकीयात कायम किये जाने पर विवेचित तनकीयात पर निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

9. तनकी नम्बर :–4 आया प्रस्तुत वादपत्र का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को ही है।

यह तनकी क्षेत्राधिकार से संबंधित है इसलिए सबसे पहले उक्त तनकी को तय किया जाना उचित है। इस तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में तर्क किया है कि रजिस्टर्ड विक्रय को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है इसलिए वादपत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। वादपत्र का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 3 रक़बा 2 बीघा 7 बिस्वा, 356 मि रक़बा 3 बीघा, 7/368 रक़बा 1 बीघा 7 बिस्वा पर ग़लत इंद्राज को दुरुस्त कर खातेदारी अधिकारी की घोषणा एवं विक्रय पत्र दिनांक 27.05.95 को नल एंड वॉइड घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा और रजिस्ट्रीकृत विक्रय–पत्र पर आधारित प्रविष्टियों को रद्द करना, राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय है, क्योंकि मुख्य अनुतोष अधिकार की घोषणा है और विक्रय पत्र को नल एंड वॉइड घोषित

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

करना उसका आनुषांगिक है। क्या कोई विक्रय पत्र आरंभतः ही शून्य है इस प्रश्न को राजस्व न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। उक्त विवेचन के आधार और इस न्यायालय को वादपत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

10. तनकी नम्बर :–5 आया वादपत्र म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

यह तनकी म्याद से संबंधित है इसलिए उक्त तनकी को पहले तय किया जाना उचित है। इस तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। विचाराधीन दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की कृत्य अनुसूची अनुसार धारा 88 के तहत वादी के अधिकारों की घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत करने की कोई परिसीमा की कालावधि नहीं है इसलिए उक्त वादपत्र म्याद बाहर नहीं पाया जाता है। यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

11. तनकी नम्बर 1 :– वादपत्र में अंकित आराजीयात वादीगण के पिता की खातेदारी / आंवटन शुदा भूमि है, लेकिन राजस्व विभाग की गलती से प्रतिवादी नंम्बर 1 के पिता के नाम अंकन हो गया जिसे दुरूस्त कराते हुए खातेदारी रामसुखा पुत्र गंगल्या के स्थान पर पिता का नाम मंगल्या दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

I. यह तनकी सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में अभिवचन किया गया है कि आराजी खसरा नंबर 3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा पर वादिगण के पिता रामसुखा पुत्र गंगल्या बैरवा का संवत् 2005 से पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसकी पासबुक दिनांक 21.01.1970 को वादीगण के पिता के रामसुखा पुत्र गंगल्या बैरवा के नाम जारी हुई लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम रामसुखा पुत्र मंगल्या के नाम उक्त आराजी गलत रूप से दर्ज की गई। उक्त के समर्थन में प्रदर्श–11 रामसुखा पुत्र गंगल्या की पासबुक प्रस्तुत की गई जिसमे खसरा नंबर 3 अंकित है। प्रदर्श–5 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2005–08 व प्रदर्श–6 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2017–19 में खसरा नंबर 3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा पर रामसुखा पुत्र गंगल्या जाती चमार काश्तकार अंकित है। प्रदर्श–7 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2009–12, 2013–16, 2021–24 में खसरा नंबर 3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा पर रामसुखा पुत्र गंगल्या जाती चमार काश्तकार अंकित है। इसके पश्चात प्रदर्श–6 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2029–32 व 2033–36 में खसरा नंबर 3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा पर रामसुखा पुत्र मंगला जाती बैरवा काश्तकार अंकित है। वादपत्र का अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह कही भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि जमाबंदी में उक्त आराजी पर गलत इंद्राज राजस्व अधिकारियों द्वारा किस वर्ष में किया गया है। न ही वादीगण द्वारा ऐसी कोई भी जामबंदी प्रस्तुत की गई है जिसमे वादीगण के पिता रामसुखा पुत्र गंगल्या बैरवा के नाम खातेदारी अंकित हो। प्रदर्श–4 नकल जामबंदी अनुसार खसरा नंबर 3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा संवत् 2016–19 में रामसुखा पुत्र मंगल्या जाती चमार व संवत् 2032–35 में रामसुखा पुत्र मंगल्या जाती बैरवा के नाम अंकित है। इससे पूर्व की कोई भी जामबंदी जिससे वादीगण के पिता के खातेदारी अधिकार सिद्ध हो प्रस्तुत नहीं की गई है। संवत् 2016–19 की नकल खसरा गिरदावरी में रामसुखा पुत्र गंगल्या जाती चमार काश्तकार अंकित है लेकिन संवत् 2016–19 की नकल जामबंदी में रामसुखा पुत्र मंगल्या जाती चमार कृषक अंकित है इस प्रकार गिरदावरी व जामबंदी में भिन्नता है। खसरा गिरधावरी केवल कब्जे को सिद्ध कर सकती है व खातेदारी अधिकार तय करने में मेरी विनम्र राय में जामबंदी को देखा जाना चाहिये। प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–6

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

अनुसार खसरा नंबर 3 पर संवत् 2029 से 2036 तक रामसुखा पुत्र मंगल्या का क़ब्ज़ रहा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श–4 में वादीगण के पिता का नाम अंकित नहीं है। इस प्रकार खसरा नंबर 3 के संबंध में वादीगण अपने खातेदारी अधिकार सिद्ध करने में असफल रहे।

II. वादी द्वारा अपने वादपत्र में आगे अभिवचन किया गया है कि खसरा नंबर 7/368 रक़बा 1 बीघा 7 बिस्वा वादिगण के पिता के नाम दिनांक 5.10.1960 में आवंटित हुआ लेकिन उक्त आरजी का नामांतरकरण दर्ज करते समय रेवन्यू अधिकारियों ने रामसुखा पुत्र गंगल्या के स्थान पर रामसुखा पुत्र मंगल्या दर्ज कर दिया। प्रदर्श–8 नक़ल नामांतरकरण संख्या 408 दिनांक 29.11.81 का अवलोकन किया जिसके अनुसार रामसुखा के नाम खसरा नंबर 7/368 रक़बा 1 बीघा 2 बिस्वा का नामांतरकरण मुताबिक़ आदेश 18.06.1981 स्वीकार हुआ था। वादीगण द्वारा दिनांक 5.10.1960 को आवंटन होने का अभिकथन किया गया है। जबकि PW–1 मोहन लाल बैरवा पुत्र रामसुखा जो की वादी संख्या 1 है ने बयान में प्रदर्श–2 आवंटन आदेश दिनांक 18.2.85 को होना बताया गया है। दिनांक 5.10.1960 को वादीगण के पिता के हक़ में यदि कोई आवंटन हुआ था तो उसके संबंध में कोई भी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रदर्श–2 में केवल आरजी काश्त की इजाज़त है अंकित है उक्त दस्तावेज में कही भी वादिगण के पिता के नाम भूमि आवंटन किया जाना अंकित नहीं है और न ही तहसीलदार के हस्ताक्षर पठनीय है। इस प्रकार वादिगण यह सिद्ध करने में असफल रहे की खसरा नंबर 7/368 रक़बा 1 बीघा 2 बिस्वा पर ग़लत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम का अंकन हुआ है।

III. वादी द्वारा अपने वादपत्र में आगे अभिवचन किया गया है कि खसरा नंबर 356 में रक़बा 3 बीघा वादीगण के पिता के नाम दिनांक 08.07.1983 में आवंटित हुआ लेकिन उक्त आराजी का नामांतरकरण दर्ज करते समय रेवन्यू अधिकारियों ने रामसुखा पुत्र गंगल्या के स्थान पर रामसुखा पुत्र मंगल्या दर्ज कर दिया। प्रदर्श–3 नक़ल नामांतरकरण संख्या 485 दिनांक 15.02.1983 की प्रति का अवलोकन किया जिसके अनुसार रामसुखा के नाम खसरा नंबर 356 में से रक़बा 3 बीघा का नामांतरकरण मुताबिक़ आवंटन आदेश दिनांक 08.02.1983 स्वीकार हुआ था। वादीगण द्वारा वादपत्र में दिनांक 08.07.1983 को आवंटन होने का अभिकथन किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा अपने जवाब दावा दिनांक 04.06.2012 को न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके विशेष विवरण की मद संख्या 3 में अंकित किया गया है कि वादीगण द्वारा दिनांक 08.07.83 को आवंटन होना बताया गया है लेकिन नामांतरकरण संख्या 485 दिनांक 15.2.83 को खोला गया है इसलिए वादीगण का नामांतरकरण संख्या 485 में अंकित आराजी से कोई संबंध नहीं है। उक्त जवाब दावे की नक़ल वकील वादी को दी गई थी। इसके पश्चात भी PW–1 मोहन लाल बैरवा पुत्र रामसुखा जो की वादी संख्या 1 है ने अपने शपथ पत्र दिनांक 2.01.2017 में पुनः खसरा नंबर 356 मि 3 बीघा का आवंटन वादीगण के पिता के नाम दिनांक 08.07.1983 को होना अंकित किया गया है। किंतु दिनांक 08.07.83 का कोई भी आवंटन आदेश पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण के द्वारा पूर्व में अपने वादपत्र में सहवन से आवंटन दिनांक ग़लत होना माना जा सकता था लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में आवंटन दिनांक 08.07.1983 अंकित की गई है। इस प्रकार वादीगण के वादपत्र व PW–1 के शपथ पत्र अनुसार यदि दिनांक 08.07.1983 को कोई आवंटन हुआ है तो विवादित आरजी खसरा नंबर 356 मिन का नामांतरकरण उससे पूर्व ही रामसुखा पुत्र मंगल्या के नाम दिनांक 15.2.83

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

को दर्ज किया जा चुका है। इस प्रकार वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे की खसरा नंबर 356 मिन रक़बा 3 बीघा पर ग़लत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम का अंकन हुआ है।

IV. उक्त विवेचन के आधार पर वादी यह सिद्ध करने में असफल रहे की विवादित आरजी वादीगण के पिता की खातेदारी/आवंटनशुदा भूमि जिसे राजस्व विभाग की गलती से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम अंकन हो गया है। यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

12. तनकी नम्बर 2 ::– प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 27.05.1995 को कराये गये विक्रय पत्र नल एण्ड वाइल्ड है।

तनकी संख्या 1 वादी के ख़िलाफ़ निर्णित की गई है। वादी विवादित आराजी पर अपने खातेदारी अधिकार सिद्ध करने में असफल रहे इसलिए वह उक्त आराजी के संबद्ध में किसी विक्रय पत्र को नल एंड वॉइड घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है। यह तनकी वादी के विरुद्ध तय की जाती है।

13. तनकी नम्बर 3 ::– वादीगण, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

तनकी संख्या 1 वादी के ख़िलाफ़ निर्णित की गई है। वादी विवादित आराजी पर अपने खातेदारी अधिकार सिद्ध करने में असफल रहे इसलिए वह प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। यह तनकी वादी के विरुद्ध तय की जाती है।

14. चूकि तनकी संख्या एक वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है, अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

15. वादी का वाद पत्र इस्तकरार हक हुक्म इक्तनाई दवामी दुरुस्ती इन्द्राज खारिज किया जाता है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)